हेरिटेज पर्यटन नीति

- उत्तर प्रदेश में विरासत महत्व तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोए हुये ऐसे अनेक भवन स्थित हैं, जिनको होटल के रूप में संचालित करने हेतु समुचित अनुरक्षण की आवश्यकता है, और जिसके अभाव में वर्तमान में पर्यटकों तथा पर्यटन के लिये उक्त किलों/महलों/हवेलियो/कोठियों का पूर्ण सदुपयोग सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः हेरिटेज होटल विकास का यह कार्य स्थानीय प्रगति को न केवल दिशा देगा बल्कि प्रदेश में रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करेगा। इसके अतिरिक्त यह कार्य नई पीढ़ी के लिये विरासतीय सम्पदा को सुरक्षित रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।
- हेरिटेज पर्यटन नीति के अन्तर्गत वर्ष 1950 के पूर्व निर्मित विरासत महत्व के पुराने भवन/ किले/ हवेलियों/कोठी /कैसल होटलों के रूप में संचालित किये जाने पर हेरिटेज होटल की श्रेणी में शामिल होंगे। हेरिटेज होटल किसी भी आकार व माप के हो सकते हैं। किसी भी विरासत महत्व के भवन की वास्तुविदीय विशेषताओं को यथासम्भव यथावत रखा जाये। आवश्यकता पड़ने पर उसमें किया जाने वाला किसी भी प्रकार का विस्तार/ उन्नयन/ परिवर्तन/सुधार/रख–रखाव आदि उपलब्ध वास्तुविदीय विशेषताओं के अनुरूप तथा उसके साथ सामंजस्य रखने वाला होगा।
- सम्पूर्ण प्रदेश में विद्यमान पुराने किले/महल/हवेली/कोठी जो कि विरासत महत्व तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोए हुये है, ऐसे भवनों को हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तित कर संचालित करने की आवश्यकता है।
- उ0प्र0 हेरिटेज पर्यटन नीति मा0 मत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त पर्यटन विभाग द्वारा दिनांक 18–07–2014 को शासनादेश सं0 1614/41–2014–174 सा0 /13 के माध्यम से प्रवृत की गई है। इस नीति के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से सामान्यतया चार माह (4 months) में समस्त प्रक्रिया यथा–परीक्षण, अनुमोदन एवं स्वीकृति का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। आवेदन पत्र पर की जा रही कार्यवाही की आवेदक को जानकारी हेतु आनलाईन ट्रेकिंग (online-tracking) की व्यवस्था का प्राविधान होगा एवं हेरिटेज भवन स्वामियों के आवेदन पत्र पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु पर्यटन निदेशालय में हेरिटेज सेल का गठन किया गया है।
- **हेरिटेज होटल प्रोत्साहन के लिये विशेष पैकेज :–**
    - **सुख–साधन कर में छूट**
    - **मनोरंजन कर में छूट**
    - **पूँजीगत अनुदान**
    - **ब्याज अनुदान**
    - **ऊर्जा अनुदान**
    - **स्टैम्प ड्यूटी पर छूट**
    - **भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क** पर छूट
    - **आबकारी लाईसेंस शुल्क में छूट**
    - **परिवहन शुल्क में छूट**
    - बेहतर एवं अतिक्रमण–मुक्त **सड़क सम्पर्क मार्ग**

- हेरिटेज पर्यटन से सम्बन्धित उत्पादों एवं गतिविधियों का **प्रचार**

- हेरिटेज होटल तथा अन्य पर्यटक सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए एक सिंगल विन्डो व्यवस्था अपनाई जायेगी। और इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में यदि शासन के किसी भी विभाग से सहयोग की आवश्यकता हो तो इसमें पर्यटन विभाग नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा। पर्यटन विभाग द्वारा गठित समिति तीन माह में कम से कम एक बार हेरिटेज इकाईयों का भ्रमण कर निरीक्षण करेगी तथा उनके समक्ष आने वाली कठिनाईयों का निराकरण करने एवं आवश्यक सहयोग देने हेतु कार्यवाही करेगी।

- हेरिटेज होटल यदि शर्तो का अनुपालन नही कर पाता है तो अनुदान की राशि की 15 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ शासन को वापिस करनी होगी अन्यथा इसकी वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जायेगी। राज्य सरकार को इस योजना को किसी विशेष परिस्थिति में स्थगित/परिवर्तित अथवा समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

- अनुदान की धनराशि का भुगतान हेरिटेज सम्पत्ति के निर्माण का कार्य पूर्ण होने तथा एक वर्ष तक सफलतापूर्वक व्यावसायिक संचालन पूर्ण कर लेने एवं होटल एण्ड रेस्टोरेण्ट एप्रूवल एण्ड क्लासीफिकेशन कमेटी (एच0आर0ए0सी0सी0) से हेरिटेज होटल स्तर का वर्गीकरण प्राप्त कर लेने के उपरान्त ही किया जायेगा। हेरिटेज होटल का संचालन आगामी पॉच वर्षों तक किये जाने की बाध्यता होगी।

- दिनांक 12–08–2014 को पर्यटन निदेशालय में हेरिटेज भवन स्वामियों हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जिसमें योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराये जाने के साथ–साथ हेरिटेज भवन स्वामियों की पृच्छाओं का समाधान भी किया जायेगा।

———